18/2/18 वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र 8-ग
R-13 स्वीकार किया जाता है। निर्णय उतार
पालना की जावे पर पत्रा. फैसल शुमार होकर
बाद तकमील संलग्न मूल वाद किया जावे।

यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिम्बा आर.ए.एस

विध प्रार्थनापत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
8/2014	03-04-2014	18-02-2016

अनुवान

.श्रीमति कमलेश
.श्रीमति मुनिया पुत्रियां पूरण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कान्हडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर।

:– प्रर्थियागण

बनाम

.कैलाश पुत्र नेतराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कान्हडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर।
.मोहनलाल पुत्र कुडिया निवासी ग्राम कान्हडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर।

:–अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0

उपस्थित:–

1.श्री नरहरिव्यास अधिवक्ता प्रार्थिया
2.श्री दुलीचन्दयादव अधिवक्ता अप्रार्थी–1

निर्णय

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 20.02.2014 के द्वारा प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 जा0 दी0 रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पुनः सुनवाई की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण 2 व 3 के विरुद्ध एकतरफा हो जाने बाद वादी साक्ष्य उपरान्त दिनांक 24.03.2005 को दावा वादी के पक्ष में डिकी किया गया। प्रतिवादी 2 व 3 ने 24.03.2005 को एक प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 के तहत पेश किया कि दिनांक 26.02.2005 को हमारा वाद साक्ष्य वादी में नियत था। लम्बे समय से हम अपने वकील साहब से सम्पर्क नहीं कर पाये। जिससे दिनांक 26.02.2005 को हमारे वकील ने No instruction plead कर दिया। उस तारीख पेशी को हम मजबूरीवश कोई भी पक्षकार नहीं आ सका, क्योंकि प्रतिवादी 2 व 3 ग्राम दरापुर में जहां हम ब्याही है वहां अपनी फसले काटने व समेटने

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

के लिये गयी हुई थी। ग्राम कान्हडका में हम अपने पिताजी के हिस्से में रहती है। क्योंकि हमारे कोई भाई नहीं है। दिनांक 23.03.2005 को हम जब ग्राम कान्हडका आयी तो हमें वकील साहब की चिटठी हमारे बंद मकान मे मिली। जिससे हमे हमारे दावे की वस्तुस्थिति का ज्ञान हुआ। हमने तुरन्त 4 बजे टेलीफोन से सम्पर्क किया जो वकील साहब ने बताया कि 24.03.2005 को आपके दावे में बास्ते आदेश नियत है। बहस एकतरफा हो चुकी है। 24.03.2005 को अदालत खुलते ही हमने 10 बजे हमारी एकतरफा खोलने का प्रार्थनापत्र पेश किया था जिस पर सुनवाई हेतु 02.04.2005 की पेशी नियत करने के बाद 12 बजे दोपहर आवाज लगाकर वादी के हक में डिक्री का फैसला सुना दिया गया। बाला बाला एकतरफा डिक्री से प्रतिवादी के हितों पर कुठाराघात हुआ है। अतः एकतरफा डिक्री अपास्त करके हमारे प्रार्थनापत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुऐ एकतरफा डिक्री अपास्त की जावे तथा इजराय पर रोक लगायी जावे।

वादी/अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया कि प्रतिवादीगण के वकील ने बिना किसी कारण के No instruction plead कर दिया। ऐसा करने का कोई कारण उन्होने नहीं बताया और ना ही प्रार्थनापत्र में कोई कारण बताया है। अतः उन्हें इस प्रार्थनापत्र के बारे में पैरवी करने व इसे पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी ने प्रतिवादी के प्रार्थनापत्र के तथ्यों को गलत बताया है। वादी ने विशेष उजरात पेश की कि प्रतिवादी अधिवक्ता ने शहादत वादी के दिन No instruction plead करने का कोई कारण नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी अधिवक्ता को आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रार्थनापत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के साथ जो शपथपत्र पेश किया है। वह तस्दीक शुदा नहीं है। अपूर्ण है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थनापत्र पर उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरोते हुए कथन किया कि दावा वादी की साक्ष्य में था। प्रार्थिया मजबूरीवश अपनी ससुराल में फसल काटने में चली गयी थी। वकील साहब से सम्पर्क नहीं हो पाया। वकील साहब ने बिना हमे सूचित किये No instruction plead कर दिया जिससे दावा एकतरफा में डिक्री हो गया। दिनांक 23.03.2005 को जब गांव हम आये तो बन्द घर में वकील साहब की चिटठी मिलने से जानकारी मिली। वकील साहब से सम्पर्क किया, 24.03.2005 को अदालत खुलते ही उपस्थित होकर हमने प्रार्थनापत्र पेश कर दिया कि हमें सुनने का अधिकार दिया जावे। श्रीमान एसडीओ साहब ने 02.04.2005 को पेश होने का आदेश मार्क किया। प्रार्थिया घर चली गयी। तत्पश्चात उसी दिन दोपहर एकपक्षीय आदेश (डिक्री) सुना दिया। वकील साहब के द्वारा आदेश सुनते ही दिनांक 24.03.2005 को आदेश 9

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

नियम 13 जा0 दी0 का प्रार्थनापत्र पेश किया कि प्रार्थिया को सुना जाना चाहिये था। जबकि आदेश विधि विरुद्ध दिया गया तथा प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र दिनांक 07.07.2005 को खारिज कर दिया। No instruction में पक्षकार को नोटिस भी जारी नहीं किये व एक्सपार्टी कर दिया। एडवोकेट एक्ट की धारा 12 के तहत रजिस्टर्ड पत्र पक्षकार को देते, तब No instruction करते। जो वकील साहब ने नहीं दिया तो मान. न्यायालय द्वारा भी नोटिस नही दिया। प्रार्थिया को जानकारी होते ही एक्सपार्टी सैटासाइड हेतु प्रा0पत्र पेश कर दिया। इसके पश्चात न्यायालय हाजा को कोई अधिकार नहीं था कि कोई निर्णय बिना सुने पारित करे। जब वकील हाजिर अदालत हो तो पक्षकार को हाजिर होने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 शपथपत्र में उचित कारण अंकित करते हुए पेश किया गया है। एक पक्षीय डिक्री को सैटासाइड कर प्रार्थिया को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

अप्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि यह प्रार्थनापत्र मेन्टेनेबल नहीं है। यह निर्णय आदेश 7 नियम 12 के तहत मैरिट पर निर्णय हुआ है। तनकीयात कायम कर साक्ष्य ली जाकर निर्णय किया है। मैरिट पर किये गये निर्णय के विरुद्ध अपील में जाना चाहिये। जो प्रार्थी नहीं गये। प्रार्थी कभी भी अदालत में नही आये। प्रार्थीगण ने नेक नियति से पैरवी नहीं की। वकील साहब से प्राप्त पत्र जानबूझकर पेश नहीं किया है। लम्बे समय से वकील साहब से नही मिलना स्वंय स्वीकार किया है। वकील साहब के खिलाफ भी कुछ नहीं कहा गया। जो पक्षकारान की मिलीभगत दर्शाती है। अतः भारी कोस्ट के साथ प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

मेरे द्वारा उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर विचार किया गया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी/प्रति0 2 व 3 के वकील द्वारा 26.02.2005 को No instruction plead किया गया। वकील प्रार्थी/प्रति0 के No instruction plead करने पर विधिक प्रावधानों के अनुसार पक्षकार को नोटिस दिये जाकर सूचित करना चाहिये था। जबकि इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया और पत्रावली में पक्षकार प्रार्थी/प्रति0 की एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण में दिनांक 24.03.2005 को एक पक्षीय डिक्री पारित की गई। जबकि दिनांक 24.03.2005 को ही न्यायालय के समक्ष प्रार्थिया/प्रति0 ने जर्ये अधिवक्ता प्रा0पत्र एकपक्षीय खोलने का प्रार्थनापत्र पेश कर दिया था। जिस पर तत्समय विचार/सुनवाई किये जाने हेतु आगामी तारीख पेशी 02.04.2005 नियत की गई थी। लेकिन फिर भी आनन–फानन में दिनांक 24.03.2005 को ही एक पक्षीय डिक्री पारित कर दी गई। वादी व प्रति0 वकीलों ने बहस के दौरान अपना अपना पक्ष रखा गया कि मुताविक वादी वकील आदेश सुनाने से पूर्व एक्सपार्टी सैटासाइड करने का प्रार्थनापत्र पेश कर दिया था प्रार्थी/प्रति0 को सुना जाना चाहिये था। जिसे सुनवाई कर उस पर निर्णय होना चाहिए था। परन्तु बिना सुने आदेश विधि विरुद्ध पारित किया गया । निर्णय सुनते ही

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

ा0पत्र आदेश 9 नियम 13 पेश किया। जिसे भी दिनांक 07.04.2005 को खारिज कर दिया या। अप्रार्थी/वादी वकील के अनुसार प्रकरण मैरिट पर डिसाइड किया जाना व मेन्टेनेबल हीं होने का कथन किया है। व आन मैरिट निर्णय की अपील होने की बहस में कथन किया ाया ।

बहस के तथ्यों पर व प्रकरण के अवलोकन के पश्चात पाया कि ात्र वकील साहब प्रति0 के दिनांक 26.02.2005 को No instruction plead किये जाने पर ति0 पक्षकार को साक्ष्य व सुनवाई के अवसर से वंचित होना पड़ा है। जबकि इससे पूर्व तिवादीगण जर्ये वकील नियमित पैरवी कर रहे थे। ऐक पक्षीय डिक्री किये जाने से ार्थिया/प्रति0 के कानूनी अधिकारो पर कुठाराघात स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के मद्देनजर प्रार्थी/प्रति0 को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत है।

आदेश

प्रार्थिया कमलेश, मुनिया पुत्रियान पूरण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कान्हडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर का प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 स्वीकार किया जाता है। एकपक्षीय डिक्री दिनांक 24.03.2005 निरस्त व प्रार्थियागण की एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त की जाती है। डिक्री अपास्त की सूचना तहसीलदार कोटकासिम को प्रेषित की जावे। दावा पुनः दर्ज होकर सुनवाई हेतु दिनांक 09.03.2016 को पेश हो। यह पत्रावली बाद तकमील संलग्न मूल वाद पत्रावली की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2016 को मेरे द्वारा टंकण कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner